Title: Regarding Supreme Court's verdict to fill up the vacant seats in the Medical Colleges by the candidates from general category in the absence of any SC or ST candidates.

श्री कान्ति लाल भूरिया (झाबुआ): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक अत्यंत ही लोक महत्व के विषय की ओर इस सदन और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अभी हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि चिकित्सा महाविद्यालय में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार नहीं मिलने पर प्रवेश का कोटा सामान्य जाति के उम्मीदवारों से भर दिया जाये। इस तरह की व्यवस्था देने से आदिवासी छात्रों के मन में यह भय व्याप्त हो गया है कि इस शिक्षा को ग्रहण करने का उन्हें अवसर प्राप्त नहीं सकेगा। इससे उन लोगों में भंयकर रोष व्याप्त हो रहा है। यदि यह व्यवस्था जारी रहती है तो आदिवासी छात्रों को इस क्षेत्र में आने का मौका नहीं मिलेगा। वे समाज के इन सम्मानजनक पद पर पहुंचने से वंचित रह जायेगें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि भारत के संविधान में यह व्यवस्था रखी गई है कि चिकित्सा के क्षेत्र में आदिवासी छात्रों का कोटा निर्धारित किया जाये। संविधान में दी हुई इस व्यवस्था और फिर उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई व्यवस्था को देखकर उनमें भ्रान्ति उत्पन्न होती है। इससे उन लोगो को गहरा आघात पहुंचा है। इसलिये मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई व्यवस्था से आदिवासियों का अहित जुड़ा हुआ है। अतः यथास्थिति बनाये रखने के लिये भारत सरकार आवश्यक कदम उठाये.

जिससे कि आदिवासी छात्रों को चिकित्सा के क्षेत्र में आगे आने का अवसर मिल सके।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2.10 P.M.

1310 hours

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till ten minutes

past Fourteen of the Clock.

1415 hours

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at fifteen minutes past

Fourteen of the Clock.

(Mr. Speaker *in the Chair*)